



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/76/2019 (सू.अ.)  
पंजीयन दिनांक:- 09.09.2019

श्री प्रहलाद पिता भैरुगिरी गोस्वामी निवासी सेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005




निर्णय

दिनांक 20.09.2019

अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 15.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 76/2019/(20.09)/441 दिनांक 12.09.2019 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 20.09.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 20.09.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसे प्रत्यर्थी से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं तथा न ही अपीलोत्तर प्राप्त हुआ है। अतः

  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)




प्रकरण संख्या 76/2019 (सू.अ.) श्री प्रहलाद गोस्वामी निवासी सेमलपुरा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
--

वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराने का श्रम करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/136 दिनांक 20.09.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

1. यह कि प्रार्थी श्री प्रहलाद पिता भैरुगिरी गोस्वामी निवासी सेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2019 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 16.07.2019 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2224 दिनांक 19.07.2019 को पत्र जारी कर वांछित सूचना चाही गई जो अब तक अपेक्षित है। सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चित्तौड़गढ़ से वांछित सूचना आगामी सात दिवस में प्राप्त कर प्रार्थी को उपलब्ध करा दी जायेगी।
5. अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/136 दिनांक 20.09.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग के लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को नियुक्त किया हुआ है। संबंधित अधिकारी से सूचना संकलित कर प्रार्थी को उपलब्ध कराने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ का है।



  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)





प्रकरण संख्या 76/2019 (सू.अ.)  
श्री प्रहलाद गोस्वामी निवासी सेमलपुरा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

आवेदक द्वारा वांछित सूचनाएं, उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान है। इसके लिये आवेदक द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन, संबंधित अधिकारी तक पहुंचाकर सूचना प्राप्त कर, आवेदक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की बनती है। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं की वह सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को 15 दिवस में निः शुल्क उपलब्ध करावें।



*(Signature)*  
(शिवांगी स्वर्णकार)

आई.ए.एस.  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./76/2019(सू.अ.)/525  
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 24 / 09 / 2019

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री प्रहलाद पिता भैरुगिरी गोस्वामी निवासी सेमलपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

*(Signature)*  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)